बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–59 / 2016 3769 /कृ0, पटना, दिनांक– 21/9/ 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय : **केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यक्रमों के लिए कुल 415.62 लाख (चार करोड़ पन्द्रह लाख बासठ हजार रुपया मात्र) रुपये (केन्द्रांश–206.84 लाख रुपये तथा राज्यांश –137.90 लाख रुपये एवं अतिरिक्त राज्यांश 70.88 लाख कुल राज्यांश 208.78 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यक्रमों के लिए कुल 415.62 लाख (चार करोड़ पन्द्रह लाख बासठ हजार रुपया मात्र) रुपये (केन्द्रांश–206.84 लाख रुपये तथा राज्यांश–137.90 लाख रुपये एवं अतिरिक्त राज्यांश 70.88 लाख कुल राज्यांश 208.78 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या–14-4/2017-CAII दिनांक 28.06.2017 द्वारा गत वर्ष की अव्यवहृत राशि को सितम्बर, 2017 तक के लिए पुर्नवैद्यिकृत किया गया है। शेष राशि की भारत सरकार से विमुक्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है। भारत सरकार से विमुक्त राशि एवंसमानुपातिक राज्यांश निर्गत किया जायेगा। अनुपूरक आगणन से अवशेष राशि प्राप्त की जा सकेगी।

3. NMOOP (Mini Mission-I) योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए स्वीकृत भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार है:–

घटक	इकाई लागत (रुपये में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपया में)
प्रमाणित बीज वितरण (क्विं० में)			
राई / सरसों / तीसी / तिल / मूँगफली / सोयाबीन	Rs.2500+1500/Qtl.= Rs.4000/Qtl.	3535	141.41
संकर प्रभेद के सूर्यमुखी / कुसुम / राई / सरसों / अण्डी बीज वितरण	Rs.5000+2500/Qtl.= Rs.7500/Qtl	300	22.50
मिनीकीट बीज (संख्या में)			
राई / सरसों (@2Kg/Pkt.)	भारत सरकार से प्राप्त होता है।	6300	-
मूँगफली (@ 20kg/ Pkt.)		200	-
तिल (@ 1kg/ Pkt.)		400	-
संकर सूर्यमुखी (@2kg/ Pkt.)		750	-
तीसी (@2kg/ Pkt.)		2400	-

E:\ABHINAV\2017-18\NMOOP 2017-18\Sanlekh 2017-18 Allocation Rs. 415.62.doc

प्रत्यक्षण			
राई/सरसों (मधुमक्खी पालन के साथ)	Rs.2000/Acre	3052	61.05
सूर्यमुखी (मधुमक्खी पालन के साथ)	Rs.2400/ Acre	900	21.60
मूँगफली (फ्लेक्सी फंड की राशि से)	Rs.3000/ Acre	1149	34.47
मिशन प्रबंधन व्यय (कुल उद्व्यय का 1%)			3.46
जिप्सम/पाइराईट्स/लाईम/डोलोमाईट/ एस0 एस0 पी0 वितरण (एकड़ में)	Rs.200/ Acre	8605	17.21
पौधा संरक्षण रसायन वितरण/ खरपतवारनाशी/सूक्ष्म पोषक तत्व (एकड़ में)	Rs.200/ Acre	8644	17.29
पौधा संरक्षण यंत्र वितरण (मानव चालित) (संख्या में)	Gen.50% Max. Rs. 500+100/Unit=Rs.600/ Unit, SC/ST 50% Max. Rs. 750 /Unit	7629	50.24
पावर ऑपरेटेड पौधा संरक्षण यंत्र वितरण (पावर एवं बैट्री चालित स्प्रेयर) (संख्या में)	Gen.50% Max. Rs. 2000+1000/Unit=Rs.3000/Unit, SC/ST 50% Max. Rs. 3000 /Unit	780	23.74
HDPE सिंचाई पाईप वितरण (300 मीटर तक) (HDPE पाईप के लिये 50 रुपया/मीटर अथवा मूल्य का अधिकतम 50% दोनों में जो कम हो देय होगा)	Max.Rs.15000/Farmers	151	22.65
कुल			**415.62**

कार्यक्रम का विस्तृत विवरणी अनुसूची–I एवं भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–II संलग्न है।

4. प्रमाणित बीज वितरण (राई/सरसों, तीसी, तिल, मूँगफली, सोयाबीन एवं सूर्यमुखी, कुसुम, राई/सरसों, अण्डी संकर बीज वितरण):–भारत सरकार द्वारा तेलहनी फसलों के उपज में वृद्धि के लिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I की योजना वर्ष 2014–15 से शुरू की गई है। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश निर्धारित किया गया है। तेलहनी फसल यथा राई/सरसों, तीसी, तिल, मूँगफली, सोयाबीन के प्रमाणित बीज वितरण पर भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान 2500 रुपया प्रति क्विंटल तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान दर (Top Up) 1500 रूपया प्रति क्विंटल कुल 4000 प्रति क्विंटल देय है। संकर प्रभेद के सूर्यमुखी, कुसुम, राई/सरसों, अण्डी बीज वितरण पर भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान 5000 रुपया प्रति क्विंटल तथा राज्यांश मद से 2500 रुपया प्रति क्विंटल कुल 7500 प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान दर (Top Up) देय है।

5. केन्द्र प्रायोजित योजना के सभी घटकों में केन्द्रांश मद की 60 प्रतिशत राशि एवं राज्यांश मद की 40 प्रतिशत राशि का प्रावधान है। बीज अनुदान मद में अतिरिक्त अनुदान (Top Up) का व्यय भार शत्–प्रतिशत राज्यांश मद से पूरा करने का प्रस्ताव है। योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के अन्तर्गत निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

6. **मिनीकीट बीज वितरण**:–मिनीकीट बीज वितरण खरीफ/गरमा/रब्बी के लिए भारत सरकार द्वारा निःशुल्क मिनीकीट का बीज यथा मूँगफली, तिल, संकर सूर्यमुखी, राई/सरसों एवं तीसी तेलहनी फसलों का बीज वितरण किसानों को किया जाता है।

मूँगफली मिनीकीट के लिए न्यूनतम 25 हेक्टेयर एवं अन्य तेलहनी फसलो के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर का क्लस्टर चयन कर, उस क्लस्टर के सभी किसानों को मिनीकीट बीज उपलब्ध कराया जाता है। सूर्यमुखी, राई/सरसों एवं तीसी के लिए 2 Kg/पैकेट, मूँगफली के लिए 20 Kg/पैकेट एवं तिल के लिए 1 Kg/पैकेट मिनीकीट का बीज दिया जाता है। किसानों को मिनीकीट बीज का प्रयोग अपने प्रक्षेत्रों में नये प्रभेदों के प्रचार–प्रसार हेतु दिया जाता है। तीसी मिनीकीट बीज की मांग भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए किया गया है।

7. **प्रत्यक्षण** :– कम समय में तकनीकी हस्तांतरण का सबसे उत्तम तकनीक फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम है। इसके कारण कृषकों के बीच यह काफी लोकप्रिय है। एन०एम०ओ०ओ०पी० (मिनी मिशन–I) के अनुरूप फसल प्रत्यक्षण आधुनिक तकनीक एवं प्रचार–प्रसार अपनाकर इसकी उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना हैं। राई/सरसों एवं सूर्यमुखी फसल प्रत्यक्षण मधुमक्खी पालन के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 से लागू किया जा रहा है। मूँगफली फसल प्रत्यक्षण फ्लैकसी फंड की राशि से की जाएगी। राई/सरसों एवं सूर्यमुखी फसल प्रत्यक्षण मधुमक्खी पालन के साथ तथा मूँगफली फसल प्रत्यक्षण उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जायेगा।

8. **जिप्सम/पायराईट्स/डोलोमाईट/लाईम/एस०एस०पी०**:–जिप्सम/पायराईट्स/डोलोमाईट/लाईम/एस०एस०पी० सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु किया जाता है। किसानों के

द्वारा खेतों में मिट्टी की जाँच नहीं कराया जाता है **एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है।** इससे भी फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है इसलिए मिट्टी की जाँच कराकर ही जिप्सम/पायराईट्स डोलोमाईट/लाईम/ एस०एस०पी० का प्रयोग करने के लिए किसानो को सुझाव दिया जाता है एवं अनुदानित दर पर किसानो के बीच वितरण किया जाता है।

9. **पौधा संरक्षण रसायन वितरण/खरपतवारनाशी/सूक्ष्म पोषक तत्वः**– फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि फसल में खरपतवार की मात्रा अधिक होने पर एवं कीट–व्याधि के प्रकोपों से फसलों के उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत की कमी होती है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

तेलहनी फसलों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में मुख्य रूप से सल्फर का वितरण किया जाता है क्योंकि सल्फर वितरण का प्रयोग तेलहनी फसलों के बीज में तेलीय पदार्थ के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु किया जाता है।

10. **पौधा संरक्षण यंत्र वितरणः**–विभिन्न प्रकार के कीट–पतंगों द्वारा हमारी फसलों को लगभग 15–20 प्रतिशत क्षति होती है। इनके नियंत्रण हेतु इस यंत्र के द्वारा फसलों पर दवाइयों के छिड़काव करने हेतु कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में **पौधा संरक्षण यंत्र वितरण (मानव चालित)** में नैपसेक एवं डस्टर कृषि यंत्र किसानों को अनुदानित दर पर दिया जाता है। नैपसेक एवं डस्टर पर सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपया तथा 100 रुपया राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान (Top up) **यथा कुल 600 रुपया प्रति यूनिट** देय है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 750 रुपया प्रति यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।

पौधा संरक्षण यंत्र वितरण (पावर/बैट्री चालित स्प्रेयर) पर सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपया तथा 1000 रुपया राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान (Top up) **यथा कुल 3000 रुपया प्रति यूनिट** दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपया प्रति यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।

11. **सिंचाई पाईप** :– सिंचाई पाईप की आपूर्ति कृषकों को फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सिंचाई पाईप का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि फसलों के विभिन्न अवस्थाओं में ससमय सिंचाई नहीं की जाती है तो उससे फसलों में 40 से 50 प्रतिशत के उत्पादन में कमी होती है। यदि किसानों के द्वारा खुली नाली (Open Channel) के माध्यम से सिंचाई की जाती है तो उससे मिट्टी का क्षरण (Erosion) होता है एवं पानी सिचाईं नाले से रिसकर बह जाता है। इसलिए किसानों को सुगमतापूर्वक सिंचाई करने के लिए HDPE सिंचाई पाईप किसानों को अनुदानित दर पर सिंचाई करने हेतु दिया जाता है। HDPE सिंचाई पाईप पर अनुदान मूल्य का 50% या अधिकतम अनुदान सीमा 50 रुपया/मीटर, दोनों में जो न्यूनतम होगा, अनुदान देय होगा। सिंचाई पाईप के लिये अधिकतम अनुदान सीमा 15,000 रुपया प्रति लाभार्थी/किसान होगा। एक किसान को अधिकतम 300 मीटर तक HDPE सिंचाई पाईप दिया जाना है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुपालन में मेला में वितरण किया जाता है।

12. **फ्लैक्सी फण्ड** :– फ्लैक्सी फण्ड मद में वर्षापात की कमी पर्याप्त मॉनसून की कमी के कारण आकस्मिकता के रूप में एवं स्थानीय क्षेत्र में किसानों के द्वारा नई तकनीक की प्रक्रिया को अपनाने हेतु इस फंड का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2017–18 में फ्लैक्सी फण्ड मद में उपलब्ध राशि से मूँगफली फैसल का प्रत्यक्षण किया जाना है। मूँगफली फसल का प्रत्यक्षण उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

13. मिशन प्रबंधन व्यय की राशि के उपयोग करने हेतु घटक में उपलब्ध राशि से योजना के पर्यवेक्षण/भाड़े पर वाहन लेना/ सेमीनार/वर्कशाप/तेलहन मेला के आयोजन पर व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुपालन में किया जाएगा।

14. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा अनुदेश में परिवर्तन किया जा सकेगा।

15. वित्तीय वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य योजना, वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष राशि भारत सरकार के पत्र संख्या–14-4/2017-CAII दिनांक 28.06.2017 के द्वारा कोटिवार सामान्य के लिए 21.43 लाख रूपया अनुसूचित जाति के लिए 55.08 लाख रूपया एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 9.38 लाख रूपया यथा कुल 85.88 लाख रूपया Revalidate की गई है, जिसकी राशि क्रमशः 83:16:1 के अनुपात में नहीं है एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार से प्राप्त उद्व्यय जो कोटिवार सामान्य, अनुसूचित जाति एवं